न्यायालय अध्यक्ष नगर विकास न्यास, अलवर एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या:– 12/59/2021

अपीलार्थी:–

श्री रामजीवन कुशवाहा निवासी बर्डस पब्लिक स्कूल, कुश मार्ग रेल्वे स्टेशन अलवर ।

प्रत्यर्थी:–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर।

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांक:–11.05.2021

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन पत्र में वर्णित बिन्दूवार सूचना चाही गई थी, जो उन्हें उपलब्ध नहीं कराई गई। अतः वॉछित सूचनाएं दिलवाई जावे।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 05.04.2021 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उप0 नहीं।
5. पत्रावली का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी ने पत्रांक 1889/21 दिनांक 04–05–2021 के माध्यम से जबाब नोटिस द्वारा अवगत कराया है कि अपीलार्थी ने सूचना प्राप्ति हेतु दिनांक 12.3.21 को आवेदन किया। अपीलार्थी को चाही गई सूचना के मध्ये 450/–रूपये जमा कराने हेतु दिनांक 31.3.21 को पत्र जारी किया गया, अपीलार्थी द्वारा दिनांक 6.4.21 को न्याय कोष में 450/–रूपये जमा कराने के पश्चात् अपीलार्थी को सूचना प्राप्त की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी के जवाव से जाहिर है कि प्रार्थी को नियत समय अवधि में सूचना प्राप्त हो चुकी है। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त करने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाती है।
6. निर्णय आज **दिनांक 11.05.2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
8. निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।

(नन्नूमल पहाडिया)
अध्यक्ष,नगर विकास न्यास
एवं जिला कलेक्टर,अलवर